बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, **https//: bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com**

पटना/ दिनांकः 11.11.25

अधिसूचना

संख्या–नि॰प्रा॰/नि 01–43/2023 (खंड) 2985 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **अनुलग्नक– 1 में अंकित 26 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं अथवा जिनका निर्वाचन देय है या जिनके पद रिक्त है।**

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा–4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका–5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक– 1 में अंकित प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड** के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 16.12.2025 (मंगलवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के **पत्र संख्या– 2628 दिनांक 10.09.2025** द्वारा **10 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड एवं पत्र संख्या– 2654 दिनांक 12.09.2025** द्वारा अनुपूरक सूची के रूप में **04 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का** मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट–ऑफ तिथि 31.08.2025** को निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2025** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है तथा **पत्र संख्या– 2785 दिनांक 06.10.2025** द्वारा **12 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड** का मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट–ऑफ तिथि 31.08.2025** को निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 24.10.2025** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. **सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 8529 दिनांक 01.11.2017 की कंडिका 2 (i) (ख) के आलोक में "बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना" के अंतर्गत निबंधित समितियों में आरक्षण के प्रावधान अपवर्जित रहेंगे।**

5. उपर्युक्त के आलोक में अनुलग्नक–1 में अंकित **प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड** के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है–

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन	17.11.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.12.2025 (बुधवार) एवं 04.12.2025 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.12.2025 (शुक्रवार) एवं 06.12.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	09.12.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.12.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	18.12.2025 (गुरूवार)

6. सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक **प्रपत्र–ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 17.11.2025 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। **प्रपत्र–ई॰ 1 को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।** निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय–3 की कंडिका– (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई–मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई–18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

8. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न **परिशिष्ट–1** में निर्देश दिये गये हैं।

9. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

10. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र ई॰ 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट–1 के निर्देशो के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।**

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात **दिनांक 18.12.2025** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः यथोक्त।

11.11.25

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2985 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2985 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपि : संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ **दिनांक 15.11.2025** तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2585 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)/ संबंधित उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित वरीय अपर समाहर्त्ता/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव की भाँति इस चुनाव में भी **दिनांक 26.11.2025** तक कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1863 दिनांक 17.10.2024 द्वारा निर्देश निर्गत है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2585 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2585 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2585 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/संयुक्त सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2585 पटना/ दिनांक 11.11.25

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आई॰टी॰ प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिष्चित करेंगे।

11.11.25

संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–01

निर्वाचन देय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की सूचीः–

क्र०	जिला	प्रखंड	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कैमूर (भभुआ)	भगवानपुर	भगवानपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
2	कैमूर (भभुआ)	मोहनियाँ	मोहनियाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
3	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	ठकराहाँ	ठकराहा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
4	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	बगहा–2	बगहा–2 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
5	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	ढाका प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
6	सीवान	बसंतपुर	बसंतपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बसंतपुर	
7	सीवान	लकड़ी नबीगंज	लकड़ी नबीगंज प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, लकड़ी नबीगंज	
8	दरभंगा	सिंहवाड़ा	सिंहवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
9.	जमुई	गिद्धौर	गिद्धौर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
10.	जमुई	सिकन्दरा	सिकन्दरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
11.	कैमूर (भभुआ)	अधौरा	अधौरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
12.	सिवान	गोरेयाकोठी	गोरेयकोठी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
13.	मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	बोचहाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
14.	पटना	फतुहाँ	फतुहाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
15.	लखीसराय	हलसी	हलसी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
16.	लखीसराय	लखीसराय	लखीसराय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
17.	लखीसराय	बड़हिया	बड़हिया प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
18.	लखीसराय	सूर्यगढ़ा	सूर्यगढ़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
19.	शेखपुरा	शेखोपुरसराय	शेखोपुरसराय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	

20.	शेखपुरा	बरबीघा	बरबीघा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
21.	शेखपुरा	अरियरी	अरीयरी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
22.	शेखपुरा	चेवाड़ा	चेवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
23.	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
24.	शेखपुरा	घाटकुसुम्भा	घाटकुसुम्भा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
25.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	छौड़ादानो	छौड़ादानो प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
26.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	तुरकौलिया	तुरकौलिया प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	

प्रपत्र-ई० 1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड .... के अन्तर्गत ....(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ....को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या	आरक्षित कोटि (यदि लागू हो)
1.	2.	3.

(ii) एकल पद, जैसे- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि अनारक्षित रहेगा परंतु अन्य पदों पर निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 एवं पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुरूप आरक्षण लागू किए जाएँगे।

(iii) अध्यक्ष/ सचिव जैसे एकल पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iv) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय .... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को ....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ....से दिनांक.. तक ....बजे से .... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक ....को ....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vii) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(viii) प्रपत्र-ई० 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(ix) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .... को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम/ पता
(1)	
(2)	
(3)	

(x) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से ....(स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्थान–

तिथि – निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू न हों, उसे काट दें।

प्रतिलिपिः– संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/ जिला सहकारिता पदाधिकारी (क्षेत्रीय निबंधन पदाधिकारी)/ स्थानीय थाना प्रभारी/ स्थानीय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/ स्थानीय जिला सहकारी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ प्रेषित। प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः– निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि प्रपत्र ई–1 को विहित स्थलों पर प्रकाशित करायें और फोटो भी खींचकर संचिका में रखें।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- **http//bsea.bihar.gov.in** पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है-

क्र०	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्ट की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वत: ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।

2. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

3. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है-

क्र०	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र- ई0 18)।
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to

		300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्या न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

प्रपत्र- ई० 18 (**निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।** वेबसाईट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री वेद प्रकाश - 7543014562
2. श्री अमित अमन- 9507066220

–o–